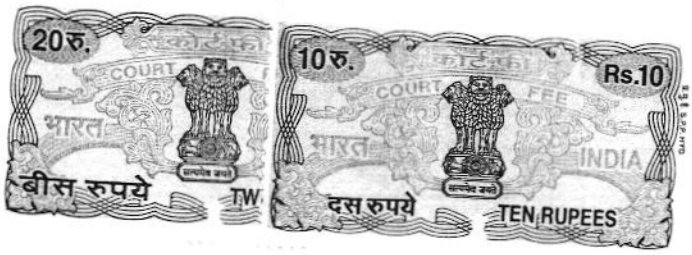

93

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर,केम्प सागर

निग 2962-I/16

कृष्णकांत तनय चन्द्रभान पटेल
निवासी ग्राम महंदपुर तह. पथरिया जिला दमोह .....निगरानीकर्ता

विरूद्व

1. म.प्र.शासन
2. मानकलाल तनय टीकाराम पटेल
3. गौतम तनय रामा
~~[illegible]~~
4. अशोकरानी पति महेश (मृतक)

निवासी महंदपुर तह. पथरिया जिला दमोह ....अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959

उपरोक्त नामांकित निगरानीकर्ता न्यायालय श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी पथरिया जिला दमोह द्वारा प्रकरण क्र 110/बी – 121/2015–16 पारित आदेश दिनांक 30/07/16 से दुखित होकर निम्न आधारों सहित अन्य आधारों पर अपनी यह निगरानी श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है :–

1. यह कि, प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि भूमि स्थित ग्राम महंदपुर मौजा परासरी खसरा क्र 119/1 एंव 135 कुल रकवा 3.64 हे आवेदक के नाम पर भूमिस्वामी हक व स्वामित्व की भूमि है जिस पर वह व उसके पूर्वज अनेकों वर्ष से कृषि कार्य करते चले आ रहे है। आवेदक की भूमि से ही लगी हुई भूमियां अनावेदकगण की है तथा विगत अनेकों वर्षों से आवेदक की भूमि पर पहुंचने हेतु एक रूढिगत् रास्ता/मेड है जो कि अनावेदकगण की भूमियों में होकर जाता है बना हुआ है। आवेदक की भूमि से लगे हुए खसरा क्र 142 एंव 149 अनावेदक क्र 2 द्वारा अलग अलग कृषकों से क्रय किए गए तथा क्रय दिनांक से अनावेदक क्र 2 को इस बात की पूर्ण जानकारी प्राप्त थी कि उसकी भूमि से आवेदक एंव अन्य कृषकों अपनी अपनी भूमि पर पहुंचने हेतु रूढिगत रास्ता/मेड बनी हुई है जिसकी कोई अपत्ति कभी भी अनावेदक क्र 2 द्वारा नहीं की गयी परंतु वर्तमान मे जब अनावेदक क्र 2 द्वारा धीरे धीरे रास्ता को संर्किण

नितेन्द्र सिंघई
94251-71223

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-2962-एक/2016 जिला दमोह कृष्णकांत विरूद्ध शासन व अन्य

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
04-01-2019 4.1.19	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं एवं अनावेदक 2 व 3 की ओर से अभिभाषक सुरेश रजक उपस्थित । आवेदक के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी पथरिया के प्रकरण क्रमांक 110/बी-121/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 30-07-2016 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर दमोह के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।	

5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर दमोह को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 22-02-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर दमोह के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर दमोह के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

4.1.19

(आर.के. जैन)
सदस्य